



मास्क पहनिये काम पर चलिये

बस



हाट बाजार



मॉल



आवश्यक सूचना

स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना संख्या: सं.सं.11 / महा. (विविध) 49 / 2020, दिनांक: 03.07.2020 के अन्तर्गत सार्वजनिक अथवा कार्य स्थल पर फेस मास्क अथवा फेस कवर (नाक और मुंह को समुचित रूप से ढकना) नहीं पहनने पर बिहार महामारी कोविड-19 विनियामवली, 2020 के तहत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अधीन दण्डनीय अपराध माना जायेगा और इसके उल्लंघन होने पर रु. 50 / - (पचास रुपये) जुर्माना किया जाएगा।

राज्य सरकार, बिहार के निर्णयानुसार सभी शॉपिंग मॉल/दुकानों/सार्वजनिक वाहनों (बस/टैक्सी/ऑटो) में परिचालन कर्मियों/चालकों और ग्राहकों/सवारियों के द्वारा मास्क का उपयोग दिनांक 31.07.2020 तक किया जाना अनिवार्य है।

मास्क को बनाकर अपनी ढाल, बिहार जीतेगा हर हाल